

पत्र संख्या-स्था-5(ग) लेखा संवर्ग पत्रावली/2025-26/
प्रेषक,

2097

राज्य कर

अपर आयुक्त (प्रशामन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

- 1- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(स्थापना-अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 02 09-2025

महोदय,

कृपया अपर निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, 510/217 न्यू हैदराबाद, लखनऊ-226007 के पत्र संख्या -1720 दिनांक 29-08-2025 एवं पत्र संख्या-1724 दिनांक 29-08-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा नवपदोन्नत लेखाकारों के पदस्थापन के सम्बन्ध में एवं सहायक लेखाकार से लेखाकार के पद पर पदोन्नति के उपरान्त पदस्थापन हेतु मानव सम्पदा पोर्टल पर त्रिकल्प चुनने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किए गये हैं।

अतः अपर निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, 510/217 न्यू हैदराबाद, लखनऊ-226007 के उपरोक्त दोनों पत्रों की छायाप्रतियाँ इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं कि कृपया प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ तैनात लेखाकारों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: - यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVI SHEKHAR SINGH
Date: 01-09-2025

17:55:45

(रावि शेखर सिंह)

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

पृष्ठोक्त पत्र संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि

1. अपर निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, 510/217 न्यू हैदराबाद, लखनऊ-226007 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संयुक्त आयुक्त, (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करने हेतु।
3. उपायुक्त एवं आहरण वितरण अधिकारी राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally signed by
SATYENDRA KUMAR
Date: 01-09-2025

उप आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ-226007

Website:-uplaad.up.gov.in

Telephone:-0522-4331772/0522-4331773

E-mail:-dia.upfinance@gmail.com

E.H.R.M.S Code:-1531435

अति महत्वपूर्ण

पत्रांक-आ0ले0प0-1724-8559/अधि-पदस्थापना/लेखाकार/2025, लखनऊ: दिनांक: 29-8-2025
सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/
मुख्य विकास अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

विषय- नव पदोन्नत लेखाकारों के पदस्थापन के संबंध में।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-10-20099/76/2024-वित्त अनुभाग-23-finance department 1/1072337/2025 दिनांक 29 अगस्त 2025 द्वारा नव पदोन्नत लेखाकारों के पदस्थापन हेतु प्रदान की गयी स्वीकृति के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन प्रदेश के विभिन्न विभागों के कार्यालयों में तैनात नव पदोन्नत लेखाकारों का पदस्थापन मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से आनलाईन किया जाना है। इस सम्बन्ध में कृपया अपने अधीनस्थ नव पदोन्नत लेखाकारों को मानव सम्पदा पोर्टल पर आनलाईन पदस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं से अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें:-

1. नव पदोन्नत लेखाकारों के पदस्थापन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। अतः वेबसाइट uplaad.up.gov.in का तत्काल/समय-समय पर अवलोकन किया जाये तथा उस पर प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करें।
2. मानव सम्पदा पोर्टल से नव पदोन्नत लेखाकारों के पदस्थापन किये जाने हेतु कार्मिकों से पोर्टल पर आन लाइन विकल्प प्राप्त किये जाने की तिथि दिनांक 01-09-2025 से 10-09-2025 तक (कुल 07 कार्य दिवस) निर्धारित की गयी है। निर्धारित अवधि में कोई वृद्धि अथवा परिवर्तन कदापि नहीं होगा।
3. मानव सम्पदा पोर्टल पर पदस्थापन हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को कार्यालयों का विकल्प देने के लिए 05 विकल्प उपलब्ध होंगे।
4. कार्मिकों द्वारा 05 कार्यालयों के विकल्प भरने पर उन्हें उनके विकल्प के अनुसार इच्छित जनपद/कार्यालय में पदस्थापन किये जाने की सम्भावना बढ़ जाएगी। विकल्प न भरने की दशा में पोर्टल द्वारा प्रदेश के किसी भी जनपद/कार्यालय में नव पदोन्नत लेखाकारों का पदस्थापन रैंडमली (Randomly) कर दिया जायेगा। इस प्रकार नव पदोन्नत लेखाकारों का पदस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया/कार्यवाही पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से आनलाईन मानव सम्पदा पोर्टल पर सम्पादित हो सकेगी।

उप(आ)5 (ग)

अपट अलुक्त (ग)
01.9.25

भववीमा,
(साधना श्रीवास्तव)
निदेशक

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ-226007

Website:-uplaad.up.gov.in

Telephone:-0522-4331772/0522-4331773

E-mail:-dia.upfinance@gmail.com

E.H.R.M.S Code:-1531435

अति महत्वपूर्ण

पत्रांक-आ0ले0प0-1720 /5859/अधि0-पदस्थापना/लेखाकार/2025 दिनांक 29.8.2025
सेवा में,

समस्त नवपदोन्नत लेखाकार
उत्तर प्रदेश।

विषय: सहायक लेखाकार से लेखाकार के पद पर पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन हेतु मानव सम्पदा पोर्टल पर विकल्प चुनने विषयक।

सहायक लेखाकार से लेखाकार पद पर पदोन्नत पाये समस्त लेखाकारों को सूचित किया जाता है कि उनका पदोन्नति के पद पर पदस्थापन मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से किया जाना है।

पदस्थापन हेतु पात्र जिन कार्मिकों द्वारा वांछित छूट /भारांक प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं कराया है, अपनी सूचनाएं पूर्ण रूप से नहीं भरा है, वह अपने कार्यालयाध्यक्ष (Office Admin) के माध्यम से वांछित छूट एवं भारांक तथा वरिष्ठता कमांक व अपने व्यक्तिगत डेटा से सम्बन्धित व अन्य आवश्यक सूचनाएं (यदि कोई हो) को पोर्टल पर तत्काल अपडेट/अपलोड करायें।

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, (वित्त विभाग) के अधीन लेखाकारों को अपने लागिन आई0डी0 से मानव सम्पदा पोर्टल पर पदस्थापन हेतु प्रदर्शित कार्यालय/विकल्पों में से 05 विकल्प निम्न प्रकार से भरने होंगे।

आनलाईन पदस्थापन हेतु SOP

क्रम सं०	विवरण	विकल्प भरने की प्रक्रिया
1	Office Selection/विकल्प का चयन	कार्मिक अपनी लागइन आई0डी0 से पोर्टल पर जनपद का चुनाव करने पर रिकॉर्डों/कार्यालयों की सूची देखी जा सकेगी। प्रदर्शित रिकॉर्डों/कार्यालयों में से एक बार में एक विकल्प/कार्यालय का चयन किया जा सकेगा। इस प्रकार पांच कार्यालय/विकल्प भरे जाने हेतु यह प्रक्रिया 05 बार किया जाना होगा।
2	Finish and Submit	क्रम संख्या-1 में उल्लिखित प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त चयनित विकल्प/कार्यालयों की फीडबैक को पुनः चेक करने के उपरान्त सही होना सुनिश्चित करते हुए Finish and Submit का बटन दबाकर प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। तत्पश्चात विकल्प लॉक हो जायेगा।

Do

1-कार्मिक <https://chrms.upsdc.gov.in> पोर्टल पर लागिन करें।

2-कार्मिक APPOINTMENT/POSTING में जाकर अपने विकल्पों को वरीयता के क्रम में सावधानी पूर्वक भरें।

3-विकल्प भरते समय सम्बन्धित कार्मिक को उनका भारांक प्रदर्शित होगा जिसको पुष्ट करने के उपरान्त ही विकल्प भरें। यदि भारांक सही नहीं हो तो आफिस एडमिन आई0डी0 से भारांक सही कराते हुये विकल्पों का चयन करें।

4-विकल्पों के चयन करने के उपरान्त पोर्टल पर इसे लाक करना अनिवार्य है। लाक नहीं करने की दशा में पोर्टल द्वारा विकल्पों के चयन को मान्य नहीं करेगा।

उपस्थित

अपर अधीक्षक (20)

 Don't

- 1-कार्मिक पोर्टल पर उपलब्ध विकल्पों को बिना भरे न छोड़े।
- 2-कार्मिक वांछित छूट/भारांक प्राप्त करने हेतु अधिकृत अधिकारी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के आफिस एडमिन आई0डी0 एवं पासवर्ड से ही अभिलेख के आधार पर संशोधित सूचना फीड करायें।

अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्त:-

- 1- यदि कोई कार्मिक निर्धारित समयावधि में अपना विकल्प पोर्टल पर नहीं भरता है एवं वांछित अभिलेखों को उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अपलोड नहीं कराता है अथवा उनके विकल्पों के रिक्तियों से मैच न करने की दशा में ऐसे कार्मिकों की पदस्थापना Random रूप से मानव सम्पदा पोर्टल द्वारा प्रदेश में स्थित एवं चिन्हांकित किसी भी उपलब्ध कार्यालय/पद पर स्वतः कर दिया जायेगा।
- 2- अन्य वांछित सूचना अभिलेख भी अपने पी0-2 शीट में अध्यावधिक रूप से विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भरें तथा अपने मानव सम्पदा आई0डी0 पर अंकित कराना सुनिश्चित करें।
 - (1) पति-पत्नी के राजकीय सेवा में होने के सम्बन्ध में मानव सम्पदा आई0डी0 तथा प्रमाण-पत्र व साक्ष्य अपने तैनाती कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं एक प्रति निदेशालय को भी उपलब्ध करायें।
 - (2) स्वयं के दिव्यांग होने की दशा में सूचना भरें एवं साक्ष्य अपने तैनाती कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं एक प्रति निदेशालय को भी उपलब्ध करायें।
 - (3) स्वयं के गंभीर बीमारी अथवा बच्चों के दिव्यांग होने की सूचना भरे तथा साक्ष्य अपने तैनाती कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं एक प्रति निदेशालय को भी उपलब्ध करायें।
- 3- वर्तमान तैनाती की प्रक्रिया पदोन्नति पर पदस्थापना है। पदस्थापन की कार्यवाही में स्वयं के अनुरोध एवं पदस्थापन प्रक्रिया से मुक्त किये जाने की व्यवस्था नहीं है। अतः सम्बन्धित कार्मिक पदस्थापन प्रक्रिया में पदस्थापन हेतु उपलब्ध विकल्पों का ही उपयोग करें।
- 4- किसी भी कार्मिक के आफलाइन व अन्य माध्यम से कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार एवं मान्य नहीं होंगे। यदि किसी भी कार्मिक ने कोई प्रार्थना-पत्र/प्रत्यावेदन इस कार्यालय में पूर्व में प्रेषित किया है तो उसे शून्य माना जायेगा।
- 5- प्रत्येक कार्मिक आनलाईन मानव सम्पदा पोर्टल पर अपने पदस्थापन हेतु उपलब्ध विकल्पों का ही प्रयोग करें क्योंकि तदनुसार ही आनलाईन पदस्थापना पोर्टल द्वारा की जायेगी।
- 6- जो कार्मिक जिस कार्यालय में पदस्थापित है उसे केवल उस जगह का विकल्प प्रदर्शित नहीं होगा। शेष सभी जनपद/मण्डल/निदेशालय/मुख्यालय के चिन्हांकित कार्यालय के पदों के विकल्प प्रदर्शित होंगे तथा उन्हीं में से विकल्प चुनकर वरीयता कम में भरना होगा।
- 7- सभी कार्मिकों के लिये सभी जनपदों के प्रदर्शित विकल्पों में से कोई भी 05 विकल्प भरने के लिए अर्ह होंगे।

भवदीया

(साधना श्रीवास्तव)
निदेशक।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- विशेष सचिव, वित्त (सेवाये) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, केन्द्रीय भवन लखनऊ।
- 4- प्रभारी लेखाकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- प्रभारी आई0 टी0 सेल को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।


(गिरीश चन्द्र चौबे)
अपर निदेशक।